रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2016/माघ 28, 1937
No. 52] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2016/ MAGHA 28 , 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

(प्रति-निवारण जांच)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के कथित वंचन पर दिनांक 21 नवंबर, 2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं.44/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्रति-निवारण जांच की शुरूआत के संबंध में ।

सं. 14/22/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली अथवा पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

2. जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने अपनी दिनांक 02 अक्तूबर, 2014 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं.15/3/2013-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच में चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय की दिनांक 21 नवंबर, 2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं.44/2014-कस्टम (एडीडी) के तहत चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

3. जबकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की शर्तों के अनुसार मैसर्स अमोली ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता अथवा घरेलू उद्योग भी कहा गया है), भारत में डिक्लोफिनैक सोडियम के एक प्रमुख निर्माता ने यह तर्क करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की है कि डिक्लोफिनैक सोडियम जो 21 नवंबर, 2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं.44/2014-कस्टम (एडीडी) पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन उत्पाद है, जिसे अब चीन (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) में डिक्लोफिनैक सोडियम के निर्यातकों द्वारा इंडोलिनोने जोकि डिक्लोफिनैक सोडियम के अंत उत्पाद का विनिर्माण करने की प्रक्रिया में अंतिम अपरिष्कृत चरण है, के निर्यातों के जरिए अपरिष्कृत रूप में भारत में सीमाशुल्क का वंचन किया जा रहा है ताकि चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को रोका जा सके।

संबद्ध उत्पाद

4. जबकि वर्तमान याचिका में संबद्ध उत्पाद (पीयूसी) "इंडोलिनोन (1-(2,6-डिक्लोरोफिनायल)-2-इंडोलिनोन क्रूड)"।

विद्यमान उपाय

5. वर्तमान में लागू और कथित रूप से वंचन किए जा रहे उपाय चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफेनैक सोडियम के आयातों पर दिनांक 21 नवम्बर, 2014 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 44/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के जरिए वित्त मंत्रालय द्वारा अधिरोपित सीमाशुल्क उपाय हैं।

जांच शुरुआत के लिए आधार

6. संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इंडोलिनोन" डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का निवारण दिनांक 21 नवंबर, 2014 की सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 44/2014-कस्टम (एडीडी) के तहत डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात् शुरू हुआ। यह निवारण "उत्पाद निवारण" की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि इंडोलिनोन में पहले ही डिक्लोफिनैक सोडियम का मोनोक्यूलर संरचना निहित है। इस प्रक्रिया में इंडोलिनोन को डिक्लोफिनैक सोडियम में परिवर्तित करने की हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया शामिल है। चूंकि इंडोलिनोन में डिक्लोफिनैक सोडियम की आधारभूत विशिष्टताएं हैं और क्रूड डिक्लोफिनैक सोडियम से इसकी तुलना की जा सकती है, इसलिए अपरिष्कृत इंडोलिनोने को डिक्लोफिनैक सोडियम में परिवर्तित करने की उत्पादन प्रक्रिया में मूल्य, तैयार डिक्लोफिनैक सोडियम की लागत का 35 प्रतिशत से भी कम बनता है। भारत में इंडोलिनोन के चरण से डिक्लोफिनैक सोडियम में मूल्यवर्धन संबंधित पाटनरोधी नियमावली प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमाओं से काफी नीचे है। यह निवारण दिनांक 21 नवंबर, 2014 की सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 44/2014-सी.शु. (एडीडी) के तहत संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कम करता है। संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क के निवारण के कारण क्षति वहन करता रहा।

कार्यपद्धति

7. संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रति-निवारण जांच की आवश्यकता प्रमाणित करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट किए जाने पर प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि यह जांच करने के लिए कि क्या चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इंडोलिनोने के आयात पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं और उनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तथा दिनांक 21 नवंबर, 2014 की सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 44/2014-सी.शु. (एडीडी) के तहत संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिक्लोफिनैक सोडियम के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करके

उसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इंडोलिनोने के आयात को शामिल किए जाने की आवश्यकता है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(1क) के अनुसार दिनांक 21 नवंबर, 2014 की सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 44/2014-सी.शु. (एडीडी) के तहत संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इंडोलिनोने के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कथित वंचन की प्रति निवारण जांच शुरू करने के लिए और **उक्त शुल्क की निरंतरता** डोलिनोने के आयातों पर **बनाए रखने** पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

8. इस निवारण जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है।

9. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2014-सितंबर, 2015 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2011-मार्च, 2012, अप्रैल, 2012-मार्च, 2013, अप्रैल, 2013-मार्च, 2014 की अवधियां और पीओआई शामिल होगा।

सूचना प्रस्तुत करना

10. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाए:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

भारत सरकार
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना होगा।

समय-सीमा

12. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जाँच की शुरूआत के पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरूआत की अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना मूल प्रति तथा साफ्ट प्रति दोनों में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा-:

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षकै, सूचीं, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

15. "गोपनीय" "या" "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या"अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

16. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

17. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

18. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

19. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

20. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2016

(Anti-Circumvention Investigation)

Subject: Initiation of anti circumvention investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of "Diclofenac Sodium", originating in or exported from China PR vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014-reg.

F. No. 14/22/2014-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping

Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof (hereinafter referred to as the Rules or AD Rules),

2. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in a sunset review investigation, vide its Final Findings Notification No 15/3/2013-DGAD dated 2nd October, 2014, had recommended the imposition of anti dumping duty on the imports of Diclofenac Sodium, originating in or exported from China PR, and the Ministry of Finance, vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014, had imposed the anti dumping duty on the imports of Diclofenac Sodium, originating in or exported from China PR.

3. Whereas, in terms of the Section 9A of the Customs Tariff Act 1975, read with Rule 25 of the Anti Dumping Rules, M/s Amoli Organics Ltd. (hereinafter referred to as the Petitioner or the Domestic Industry), a major manufacturer of Diclofenac Sodium in India, has filed a petition before the Authority alleging that Diclofenac Sodium, which is the product subject to anti dumping duty vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014, is now being circumvented into India by the exporters of Diclofenac Sodium in China (hereinafter referred to as the subject country) in an unfinished form by way of exports of Indolinone (hereinafter referred to as the subject goods), which is the penultimate unfinished stage in the process of manufacturing the end product Diclofenac Sodium, to circumvent the anti dumping duty imposed on the imports of Diclofenac Sodium, originating in or exported from China PR.

Product Under Consideration

4. The product under consideration (PUC) in the present petition is "Indolinone (1-(2,6-DICHLOROPHENYL)-2-INDOLINONE CRUDE)".

Existing Measures

5. The measures currently in force and which are allegedly being circumvented are the anti-dumping measures imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014 on the imports of Diclofenac Sodium, originating in or exported from China PR.

Grounds for Initiation

6. The Petitioner claims that the circumvention of the anti dumping duty levied on the imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the subject country started after the imposition of anti dumping duty on the imports of Diclofenac Sodium vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014. This circumvention comes under the category of "product circumvention". The Petitioner has submitted that Indolinone already contains the monocular structure of Diclofenac Sodium.The process involved in converting Indolinone to Diclofenac Sodium is the process of hydrolysis and since Indolinone has basic characteristics of Diclofenac Sodium and is comparable to crude Diclofenac Sodium, the purification of which leads to manufacture of Diclofenac Sodium, the value addition in the production process of finishing the unfinished Indolinone into Diclofenac Sodium constitutes less than thirty-five percent of the cost of finished Diclofenac Sodium. This value addition from the stage of Indolinone to Diclofenac Sodium is much below the limits prescribed under the relevant circumvention provisions under the anti circumvention rules in India. This circumvention is undermining the remedial effects of the anti dumping duty imposed on the imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the subject country vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014. Even after the imposition of anti dumping duty on the imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the subject country, the domestic industry continues to suffer injury on account of circumvention of anti dumping duty from the subject country.

Procedure

7. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for an anti circumvention investigation the anti dumping duty imposed on the imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the subject country, the Authority has concluded that sufficient prima facie evidence exists to initiate an anti circumvention investigation of the alleged circumvention of the anti dumping duty imposed on the imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the subject country vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014 in accordance with Section 9A(1A) of the Act, read with Rule 25 of Antidumping Rules, to investigate as to whether imports of Indolinone originating in or exported from China PR are at dumped prices and are causing injury to the domestic industry and the need for extending anti dumping duty imposed on the imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the subject country vide Customs Notification No. 44/2014-Customs (ADD) dated 21st November, 2014 to the imports of Indolinone originating in or exported from China PR.

8. The country involved in this circumvention investigation is China PR.

9. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April, 2014 - September, 2015. The injury investigation period will, however, cover the periods April'2011-March'12, April'2012–March'2013, April'2013-March'2014 and the POI.

Submission of Information:

10. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product shall be addressed to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties

Department of Commerce,

Jeevan Tara Building, 4th Floor

5, Parliament Street

New Delhi -110001

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out by the Authority. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limits

12. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of communication of initiation of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

13. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the communication of initiation of this Notification.

Submission of information on confidential basis

14. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

15. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

16. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

18. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

20. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

21. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.